

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर, वनमण्डल (म.प्र.)

E-mail = dfotssagar@mp.gov.in Phone No. 07582-236215

क्रमांक/मा.चि./06/2023/5069

सागर, दिनांक 30-8-24

प्रति,

संभागीय प्रबंधक,
मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड
तिली रोड़ सागर।

विषय :- सागर जिले में ए.डी.बी.-6 योजना के अंतर्गत एस.एस. 21 सागर-रहली मार्ग उन्नयन/चौड़ीकरण हेतु 6.080 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, सागर को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPR 013/2022-BHO दिनांक 22.05.2023

--"---

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक/6-MPR013/2022-BHO दिनांक 22.05.2023 द्वारा स्थिति-A के अनुसार शर्त क्रमांक-01 से 11 तक एवं स्थिति-B के अनुसार शर्त क्रमांक-01 से 18 तक सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई है।

स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्त क्रमांक-7 के अनुसार रोड़ साइट प्लान्टेशन योजना तैयार कर प्रेषित करने हेतु लेख किया गया है। अतः आप संलग्न रोड़ साइट प्लान्टेशन योजना की तकनीकी स्वीकृति की प्रति ऑन लाईन अपलोड करते हुए रोड़ साइट प्लान्टेशन योजना की राशि रु. 97,07,031/- मध्यप्रदेश कैम्पा मद में जमा कर प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त अन्य समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन वेबपोर्टल पर दर्ज कर एक प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सागर, (सा.) वनमण्डल

पृ.क्रमांक/मा.चि./06/2023/5070

सागर, दिनांक 30-8-24

प्रतिलिपि :-

- 1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 2- मुख्य वन संरक्षक, सागर वन वृत्त, सागर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 3- उप वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 4- वन परिक्षेत्र अधिकारी, ढाना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सागर, (सा.) वनमण्डल



आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर (म.प्र.)

// आदेश //

सागर दिनांक : 16/08/2024

2024

क्रमांक/व्यय/कैम्पा-2024/63

वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर के पत्र क्रमांक/मा.वि./1387 दिनांक 13/08/2024 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृत Proposal for diversion of forest land under DFO South Sagar for Improvement widening of Sagar-Rehli road SH-21 (KM0/000 to KM 39/65) Section Sagar to Rehli under MPRDA Division sagar with Fina के निर्माण में प्रभावित वनभूमि 6.08 हेक्टर की भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक-7 के पालन में परिक्षेत्र ढाना के रकवा 8.747 ha में रोड साईड प्लानटेशन हेतु कुल राशि रुपये 9707031/- की 07 वर्षीय प्राक्कलन (वर्ष 2025-26 से 2031-33 तक) तकनीकी स्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित प्रस्तुत करने के उपरांत मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक/621/03/नियम/चार भोपाल दिनांक 03/09/2003 द्वारा Book of financial power, 1995 Volume-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र	वनमंडल का नाम	योजना/कार्य का नाम	परिक्षेत्र	स्थल	रकवा है.में	राशि (रुपये में)
1	2	3	4	6	7	8
1	दक्षिण सागर	Proposal for diversion of forest land under DFO South Sagar for Improvement widening of Sagar-Rehli road SH-21 (KM0/000 to KM 39/65) Section Sagar to Rehli under MPRDA Division sagar fina P/MP/ROAD/49265/2020	ढाना	रोड साईड प्लानटेशन	8.747	9707031
				Total	8.747	9707031



- मुख्यालय द्वारा CA मद के अंतर्गत कुल रकवा एवं राशि से प्रति हे.व्यय अधिक न हो यह सुनिश्चित करना आहरण एवं संवितरण अधिकारी का दायित्व होगा।
- प्रस्तावित क्षेत्र में KML file के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र का घेराव कर सत्यापन करना आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
- कार्य कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र.भोपाल द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं राशि आवंटित होने पर ही कार्य एप्रारंभ कराये जावे। प्रस्तावित राशि से अधिक राशि का व्यय कदापि न किया जावे।
- कार्य कराने में श्रम नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- कय की जाने वाली सामग्री में भंडार कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे एवं जी.एस.टी.की राशि का तत्काल भुगतान किया जावे। सामग्री के सत्यापन हेतु प्र.मु.व.सं. एवं वन बल प्रमुख म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10/06/2020 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सत्यापन उपरांत ही भुगतान किया जावे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र/कैम्पा/318 iv/361 दिनांक 18/02/2021 द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- रोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण कर उचित जैविक खाद का उपयोग किया जावे।
- प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यों का टाईम प्लान व कार्य प्लान तैयार कर साईट स्पेशिफिक क्रियान्वयन किया जावे।
- यदि कराये गये कार्य निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य स्थल पर नहीं पाये जाते हैं तो उक्त संबंध में आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जावेगा।
- वृक्षारोपण क्षेत्र की KML file सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- वृक्षारोपण हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री स्वीकृत निविदा दर/वरिष्ठ के निर्देशों के अनुरूप ही की जावे, भिन्नता पाये जाने पर क्रय करने वाले अधिकारी एवं संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र/अनु./168 दिनांक 17/05/2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन (माह अक्टूबर एवं माह मई में) कराया

- जावेसंपूर्ण क्षेत्र में रोपित पौधों की औरत जंगल/गोलाई व फोटो ग्राफ्स वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संचितरण अधिकारी का होगा।
12. कार्य कराने में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10/6/2020 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संचितरण अधिकारी का होगा।
13. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-2/2022-23/10-3/2956-2957 भोपाल दिनांक 26/10/2022 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संचितरण अधिकारी का होगा।
14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/469/2069-2070 दिनांक 14/09/2022 के निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण (CA) एवं NPV मद के अंतर्गत किये जा रहे वृक्षारोपण कार्य में कुचुआ खाद (वर्मीकम्पोस्ट) के उपयोग किया जाना सुनिश्चित करे।
15. वृक्षारोपण क्षेत्र में निरीक्षण पथ का अधिक से अधिक उपयोग पौधा परिवहन में करते हुये सिर बोझ से पौधा परिवहन न्यूनतम रखा जावे।
16. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/470-62/2539-2540 दिनांक 07/11/2022 द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
17. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-2/2022-23/10-3/1538 भोपाल दिनांक 09/05/2022 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संचितरण अधिकारी का होगा।
18. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) म.प्र.भोपाल का पत्र क्रमांक/कैम्पा/3445 दिनांक 14/08/2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार CAMPA मद के अंतर्गत संपादित समस्त कार्य (क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, एन.पी.व्ही. अंतर्गत वृक्षारोपण, भवन निर्माण, लैंटाना/खरपतवार उन्मूलन, पुल/पुलिया निर्माण, भू-जल संरक्षण कार्य, नर्सरी अद्योसंरचना कार्य) को E-green watch portal पर (के.एम.एल/अंक्षाश देशान्तर सहित) प्रमाण-पत्र तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त व्यय (कैम्पा मद) के अंतर्गत विकलनीय होगा। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक-SS..... के अनुक्रमांक 1.5. पर दर्ज की गई है।

(अनिल के सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर

पृ.क्रमांक/व्यय/कैम्पा-2024/1936
प्रतिलिपि :-

सागर दिनांक : 16/08/2024

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 3. महालेखाकार ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 4. वन मण्डल दक्षिण सागर की ओर उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./1387 दिनांक 13/08/2024 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
 5. प्रभारी मानचित्रकार शाखा वृत्त कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- संलग्न :- उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्राक्कलन अनुक्रम-4

मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर